TUVRheinland®
CERT
ISO 9001

(राज्य सरकार का उपक्रम)

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड
U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LIMITED
U.P. GOVT. UNDERTAKING
(ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY)

पत्र सं0 525/प्र0नि0-शिविर/2014-15

दि0 04-04-2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन को दीर्घ सेतुओं के जो भी आगणन प्रेषित किये जायेंगें उन्हें एलीवेशन एरिया की दरों पर गठित न किया जाये अपितु MORTH की विशिष्टियों के आधार पर वर्तमान दर विश्लेषण के अनुसार आगणन गठित कराते हुये लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

ह0/-
(राजन मित्तल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित :-

01- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर-इटावा/वाराणसी/परिकल्पना), उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर-इटावा/वाराणसी।
02- महा प्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/इलाहाबाद/इटावा/फैजाबाद/गोरखपुर/झाँसी/मुरादाबाद/गाजियाबाद), उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/इलाहाबाद/इटावा/फैजाबाद/गोरखपुर/झाँसी/मुरादाबाद/गाजियाबाद।
03- महा प्रबन्धक (परिकल्पना/नियोजन)/मुख्य परियोजना प्रबन्धक (अनुश्रवण), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
04- गार्ड फाइल हेतु।

ह0/04/4
प्रबन्ध निदेशक

Regd. Office: Setu Bhawan, 16, Madan Mohan Malviya Marg, LUCKNOW - 226 001. Phone: 2205815, 2205807, 2209792 Fax: 0522 2209798
E-mail: upsbclko@rediffmail.com, upsbc@gmail.com
website: www.bridgecorporationltd.com

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

6ब, महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 265 कॉप-पु 34 दिनांक/अ0 अक्टूबर/14 दिनांक 05/10/14

कार्यालय–ज्ञाप

यह संज्ञान मे आया है कि दीर्घ सेतु/लघु सेतु के आगणन एलीवेशन एरिया आधार पर बनाये जा रहे है। समस्त आगणन MoRT&H पद्धति पर गठित कर प्रस्तुत किये जायें। इस प्रकार जो भी सेतु के आगणन आपके द्वारा पूर्व मे मुख्यालय को प्रेषित किये गये है, उन्हे मुख्यालय स्तर से वापस मगा लिया जाये और MoRT&H पद्धति पर पुनः आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

यदि आवश्यक हो तो सभी सेतुओं के लिए मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र प्रस्तुत करके उस पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर ले, तदानुसार विस्तृत आगणन गठित किया जा सकता है।

ह0/-
(ए0 के0 गुप्ता)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सेतु भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।

5/10/14
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष